

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

(जी-3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक:-प.1(क)(14)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./21/5948

दिनांक:- 18/08/23

आदेश

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 18.10.2021 एवं विभागीय पदोन्नति समिति की रिज्यू बैठक दिनांक 26.07.2023 में की गई अनुशंषानुसार राजस्थान नगर पालिका सेवा के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम संख्या 03 में अंकित पद पर व कॉलम संख्या 04 में अंकित वर्ष की रिक्तियों में तथा कॉलम संख्या 05 में अंकित तिथि से अधिशाषी अधिकारी-तृतीय के पद पर निर्धारित वेतनमान में पदोन्नत करते हुए कॉलम संख्या 06 में अंकित दिनांक से स्थाई किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी मय पदनाम	पदोन्नति पद	वर्ष जिसकी रिक्तियों में पदोन्नति दी गई	दिनांक जिससे परीवीक्षाधीन रखा गया	स्थाईकरण दिनांक	विशेष विवरण
01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.
01.	श्री प्रमोद कुमार जांगीड, राजस्व अधिकारी-द्वितीय	अधिशाषी अधिकारी-तृतीय	2021-22	01.04.2021	01.04.2022	-

उपर्युक्त अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ केवल नोशनल आधार पर देय होगा। वास्तविक वित्तीय लाभ पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा एवं पूर्व का कोई ऐरियर देय नहीं होगा। उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति उपरान्त आगामी आदेशों तक वर्तमान पदस्थापन स्थान पर यथावत कार्य सम्पादित करेंगे।

उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन सं0 10580/2021 श्री फतेह सिंह मीणा एवं श्री अभिषेक गहलोत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं श्री भंवरा राम द्वारा दायर एस.बी. सिविल रिट अवमानना सं0 691/2021 में मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:-प.1(क)(14)कार्मिक/आर.एम.एस./डी.एल.बी./21/5949-55 दिनांक:- 18/08/23  
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिलानी।
5. श्री प्रमोद कुमार जांगीड राजस्व अधिकारी-द्वितीय हाल अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पिलानी।
6. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(चांद मल वर्मा)

अतिरिक्त निदेशक